भारतीय कपास निगम लिमिटेड , शाखा कार्यालयः अहमदाबाद
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED
10 वी मंजील , साकार1-, नेहरु बिज के सामने ,नवरंगपुरा, अहमदाबाद9-
10th Floor, Sakar-1, Opp. Nehru Bride, Navarangpura, Ahmedabad-9
दूरभाष : 079-2658 8822 , 2657 8128 फैक्स : 079 - 2658 9717
ई-मेल : swapnil.dadmal@cotcorp.com

CIN: U51490MH1970GOI014733 GST No. 24AAACT4053B1ZY वेब साईट : www.cotcorp.gov.in/www.ministryoftextiles.gov.in

सं. भाकनि/अहद/विपणन/स्था.परिवहन/2019-20/ **दिनांक : 09.10.2019**

निविदा सूचना

भारतीय कपास निगम लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा कपास फसल वर्ष **2019-2020** के दौरान निगम के विभिन्न खरीद केन्द्रों / APMC से नजदीकी लोकल गोदाम / शेड अथवा अन्य विभिन्न गोदामों तक **कपास** के स्थानिय परिवहन कार्य के लिए इच्छुक ट्रान्सपोर्टर से **कपास** के परिवहन हेतु 2 – बिड प्रक्रिया के तहत मुहरबन्द **निविदाएँ** आमंत्रित की जाती है । टेण्डर फार्म, नियम व शर्तो का प्रोफार्मा निगम के शाखा कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालयीन समय में प्राप्त किया जा सकता है । इच्छुक ट्रांसपोर्टर रु. 01.00 लाख की EMD प्रति केंद्र के हिसाब से निविदा के साथ संलग्न करें । जिस निविदाकर्ता के पास MSME Registration Certificate है उन्हें निविदा के साथ EMD संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है । निविदाकर्ता निर्धारित फार्म में निविदा दिनांक **15.10.2019** को दोपहर **4.00 बजे** तक या उससे पूर्व बंद लिफाफे में शाखा कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं । निविदा उसी दिन **15.10.2019 को दोपहर 4.30** बजे उपस्थित परिवहनकर्ताओं के समक्ष खोली जायेगी व निगम किसी भी निविदा को आंशिक/पूर्ण रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है ।

निविदा संबंधी निविदा फार्म, नियम एवं शर्तो की पूर्ण जानकारी हमारी वेबसाईट www.cotcorp.org.in या www.eprocure.gov.in पर उपलब्ध है ।

(सहायक महा प्रबंधक)

भारतीय कपास निगम लिमिटेड
THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED
शाखा कार्यालयः अहमदाबाद
10 वी मंजील , साकार1-, नेहरु बिज के सामने,नवरंगपुरा, अहमदाबाद9-
10th Floor, Sakar-1, Opp. Nehru Bride, Navarangpura, Ahmedabad-9
दूरभाष : 079-2658 8822 , 2657 8128 फैक्स : 079 - 2658 9717
ई-मेल : swapnil.dadmal@cotcorp.com

CIN: U51490MH1970GOI014733 GST No. **24AAACT4053B1ZY** वेब साईट: www.cotcorp.gov.in/www.ministryoftextiles.gov.in

परिवहन की शर्तें

1. टेन्डर फार्म दिनांक 15.10.2019 को **दोपहर 04.00 बजे** (Sharp) तक हमारे कार्यालय के टेन्डर बॉक्स में डालने होंगे अथवा शाखा कार्यालय में पहूँचाने होंगे तथा जो निविदाकर्ता टेन्डर प्रर्कीया में उपस्थित रहना चाहते हैं वे उपस्थित रह सकते हैं जिनके सामने प्राप्त टेन्डर उसी दिन **दिनांक 15.10.2019** को **दोपहर 04.30 बजे** खोले जाएंगे । न्यूनत्तम दर प्रस्तावित (L1) करने वाले ठेकेदार को ही कार्य आंबटित किया जाएगा ।
2. इच्छुक ट्रांसपोर्टर रु. 01.00 लाख की EMD प्रति केंद्र के हिसाब से निविदा के साथ संलग्न करें । जिस निविदाकर्ता के पास MSME Registration Certificate है उन्हें निविदा के साथ EMD संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है जिसके लिये निविदाकर्ता को निविदा के साथ MSME Registration Certificate की एक प्रति संलग्न करना आवश्यक है ।
3. निविदा देने से पहले शर्तों को ध्यानपूर्वक पढा जाए एवं निविदा से संबंधित कोई भी जानकारी शाखा कार्यालय, अहमदाबाद अथवा संबंघित केन्द्र / गोदाम प्रभारी से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती हे । लेकिन निविदाकर्ता द्वारा एक वार टेन्डर डाल देने के बाद कोई भी परिवर्तन स्वीकार नही किया जाएगा एवं यह भी स्वीकार्य नहीं होगा कि गलती से दर लिखा गया हे । प्रस्ताव केवल निर्धारित फार्म में ही भरे जायें । अन्य कोई फार्म अथवा दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होगा।
4. यह जरूरी नहीं कि वहॉ निगम का कार्य अवश्य होगा ।
5. निविदा दो भाग में विभाजित है यानि तकनीकी बिड (BID-I) तथा फाइनान्सियल (Financial) बिड (BID-II) । परिवहन ठेकेदार ये दोनोंदो अलग अलग सील बन्द कवर में जिन पर BID-I तथा (BID-II) अंकित रहेगा तथा इन दोनों को एक तीसरे सील बन्द कवर में डालकर प्रस्तुत करना होगा, जिस पर **"कपास मौसम वर्ष 2019-2020 के लिए स्थानिय कपास परिवहन टेन्डर"** लिखा / अंकित होना चाहीए ।
6. निगम की शाखा कार्यालय , अहमदाबाद पर गठित समिति द्वारा निर्घारित समयावधि में प्राप्त टेन्डरों में से पहले तकनीकी बिड (BID-I) खोली जाएगी । वित्तीय बिड (BID-II) उसी समय केवल उन्हीं ठेकेदारों से संबंघित खोली जाएगी जिन्हें BID-I में योग्य घोषित किया गया हो ।

7. परिवहन कार्य अनुमोदित दरों पर पूरे कपास मौसम वर्ष यानि 2019-2020 के दौरान जारी रखा जाएगा । किसी भी कारणों से बाद में दरों की वृद्धी पर विचार नहीं किया जायेगा ना तो इस बारे में कोई प्रस्ताव रखा जायेगा । **"निविदाकर्ता द्वारा Quote की जानेवाली दरें सभी करों सहित होगी (GST को छोडकर)" ।** यह दरें 15.10.2019 से 30.09.2020 तक प्रभावी रहेंगी । जरूरत पडने पर आपसी सहमति से यह समय सीमा तीन महिने के लिये बढाई जा सकती है ।
8. यदि निविदाकर्ता द्वारा दी गई निविदा में निगम की शर्तों के अलावा कोई भी शर्तें रखी अथवा संलग्न की जाती है तो वे मान्य नहीं होगी । निगम की शर्तों के अनुसार ही कार्य आदेश दिया जाएगा । अत : निविदाकर्ता निविदा में अपनी ओर से कोई भी शर्त अलग से ना रखें ।
9. निगम के प्रस्तावित केन्द्रों पर परिवहनकर्ता द्वारा अपने प्रतिनिधि / कार्यालय की व्यवस्था करनी होगी । **परिवहनकर्ता का रूई गांठों के परिवहन का अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी ।**
10. उठाई जाने वाली **कपास की मात्रा** की जानकारी के लिये ट्रान्सपोर्टर को निगम के केन्द्र प्रभारी / फैक्टरी प्रभारी से निरंतर संपर्क बनाए रखना होगा **। ट्रान्सपोर्टर को कपास उठाने की व्यवस्था केन्द्र प्रभारी के आदेशानुसार शीघ्र ही करनी होगी ।**
11. परिवहन का कार्य CWC/GSWC/APMC/SOCIETY आदि के कार्यालय समय के दौरान पूरा करना होगा एवं इन संस्थाओं द्वारा जारी नियमों का पालन करना होगा ।
12. **कपास** को ले जाने के दौरान रास्ते में अगर ,किसी प्रकार का Non-refundable खर्चा अर्थात् ऑक्ट्राई तथा अन्य स्टेच्यूटरी (सांविधिक) चार्ज आदि लगता हो तो इसका भुगतान ट्रान्सपोर्टर करेगा जो उसे अपने बिल के साथ भारतीय कपास निगम लिमिटेड के नाम की ओरिजिनल रसीद प्रस्तुत करने पर वापस कर दिया जायेगा ।
13. परिवहनकर्ता द्वारा प्रत्येक माह की 10 एवं 20 तारीख तक के कार्य के परिवहन बिल प्रस्तुत किये जायेंगे । छोटे छाटे बिल प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे । बिल दो प्रतियों में तैयार किये जायेंगे जिनमें कपास की मात्रा / स्टेशन / किस्म / फसल वर्ष, कपास का मूवमेन्ट , ट्रक / लॉरी नंबर, प्रति क्विन्टल दर आदि के विवरण दर्शाए जायेंगे तथा ये **<u>बिल सम्बधित केन्द्र प्रभारी से सत्यापित करवाकर ही शाखा कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने चाहिए ।</u>**

**** प्रत्येक पिछले माह का परिवहन बिल शाखा कार्यालय में उसके अगले माह की तीन तारीख तक प्राप्त हो जाने चाहिए अन्यथा TDS / GST के होनेवाली ब्याज की वसूली परिवहनकर्तासे की जाएगी ।**
14. निगम के अहमदाबाद कार्यालय में बिलों का भुगतान बिल प्राप्त होने की तारीख से 10 दिन के भीतर किया जायेगा बशर्ते कि बिल सही हों । उपरोक्त अनुसार प्राप्त बिलों के चैकिंग के बाद उसका 90 % भुगतान 10 दिन में परिवहनकर्ता को आयकर अधिनियम के अनुसार जरूरी कटौति (TDS) करने के बाद किया जायेगा । शेष 10 % राशि का भुगतान ट्रान्सपोर्टेशन कार्य के संतोषजनक निष्पादन के बाद फसल वर्ष के अन्त में किया जायेगा । **<u>अगर निगम के पास ऐसी कटौति एवं घरोहर राशि को मिलाकर पॉच लाख रूपया जमा हो जाता है तो ट्रान्सपोर्टर के आवेदन करने पर इससे अधिक राशि उसे लौटाई जा सकती है बशर्ते उसका कार्य संतोषजनक रहा हो</u> ।**

15. निगम के केन्द्र पर ट्रान्सपोर्ट होनेवाले कपास को प्राप्त करते समय परिवहनकर्ता **कपास के वजन नोट की एक प्रति लेंगे** तथा अपने अधिकृत एजन्ट या कर्मचारी का हस्ताक्षर देंगे । लदान के समय समय अगर कपास डेमेज/बर्स्ट पायी जाये तो उनकी कंडीशन का विवरण एल.आर./जी.सी. नोट में दर्ज किया जायें तथा लदान के समय सी.सी.आई. के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर प्राप्त किये जायें ।

कपास Loading के समय जो कपास मात्रा में वजन होगा उसी वजन मात्रा में CCI द्वारा दर्शाए गए भण्डारण /जिनिंग स्थल में कपास की सुपुर्दगी परिवहनकर्ता को करनी होगी । कपास की सुपुर्दगी वजन में कमी के कारण निगम को होनेवाले आर्थिक नुकसान की भरपाई परिवहन करता से की जाएगी जिसकी परिवहनकर्ता के बिलों में से अथवा उनकी निगम में जमा EMD में से वसूली की जा सकती है ।

16. गन्तव्य स्टेशनपर पहुँचने के बाद **कपास** आदि की डिलीवरी देते समय परिवहनकर्ता सीसीआई के प्रतिनिधि की सही पावती हेतु हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे तथा इस पावती को वे ट्रान्सपोर्टेशन चार्ज के बिल के साथ सीसीआई को पेश करेंगे । **कपास** की डिलीवरी गन्तव्य स्थान पर कार्यालय समय अवधि के दौरान देनी होंगी ।
17. ट्रान्सपोर्टेशन के लिए सौंपे गए माल का पूरा ध्यान परिवहनकर्ता रखेगा । किसी प्रकार की हानि के लिये **कपास** की नुकसानी या खराबी के लिये परिवहनकर्ता जिम्मेदार होगा ।
18. रूकावट तथा वापसी (डिटेन्शन एण्ड रिटर्न) के लिए किसी प्रकार के भाडे का अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा ।
19. ट्रक की हालत ऐसी ना हो कि वह **कपास** को क्षतिग्रस्त करें । केमिकल तथा कोयला आदि ढोने वाले ट्रकों की पूरी सफाई करने के पश्चात ही **कपास** की लदाई की जायें । आवश्यकता अनुसार परिवहनकर्ता को ट्रक पर खुद की तारपोलिन आदि बिछाकर **कपास** की लदाई करनी होगी
20. यदि दो या दो से अधिक परिवाहक एक ही प्रकार की न्यूनतम दरें भरते हैं तो उनमें बराबर बराबर मात्रा में कार्य आंबटित किया जायेगा ।
21. **कपास** के परिवहन संबंधित कार्य में दोषी होने पर यदि निगम को कोई आर्थिक नुकसान होता है तो परिवाहक द्वारा दी गई जमा राशि जब्त कर ली जायेगी एवं परिवाहक को ब्लेक लिस्ट करते हुए नुकसान की राशि वसूलने हेतु कानुनी कर्रवाई की जा सकती है ।
22. टेन्डर में भरी हुई दरें स्पष्ट होनी चाहीए, जो दरें स्पष्ट नहीं होंगी वह दरें रदद् समझी जाएगी फैक्स या ई-मेल मान्य नहीं होगी । **अगर टेन्डर में भरी गई दरों में कटींग की जाती है तो उस पर हस्ताक्षर अवश्य किए जाएँ । पेन्सिल से लिखे गये दर मान्य नहीं होंगे ।**
23. लदान करने की जगह से गन्तव्य स्थान पर उतारने तक माल के खो जाने , नुकसान होने , चोरी होने या नष्ट हो जाने पर परिवाहक को माल की पूरी किंमत की पुर्ति करनी होगी । साथ ही माल को गन्तव्य स्थान पर डिलीवरी नहीं देने के परिणाम स्वरूप जो अनुगामी हानि और घाटा होगा उसके लिये परिवाहक जिम्मेदार होगा ।

24. वर्तमान में प्रभावी स्थानिय निकाय,राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पब्लिक केरिअर पर लागू सभी अधिनियमों तथा अन्य कानून द्वारा केरिअर पर निर्दिष्ट जिम्मेदारी के अतिरिक्त केन्द्र पर **कपास** की डिलीवरी लेने के समय से लेकर **कपास** की वास्तविक रूप से डिलीवरी सीसीआई को या इसके आदेशानुसार देने के दौरान **कपास** को हानि या कोई भी अधिनियम या कानून के उल्लंघन के लिये परिवाहक जिम्मेदार होगा ।
25. कपास के परिवाहक द्वारा लोडिंग के पश्चात से **कपास** के अनलोडिंग तक के दौरान यदि **कपास** को किसी प्रकार की हानि होती है तो इसके लिये परिवाहक सीसीआई को क्षतिपूर्ति करेगा चाहे **कपास** को नुकसान होने के कारणों पर परिवाहक का युक्तिपूर्वक नियंत्रण रहा हो या ना रहा हो ।
26. परिवाहक को बीमा नियमों के अनुसार ट्रक में लादी गई **कपास** को तुरन्त अच्छे और मजबूत तारपोलिन से ढकना होगा । यदि इस प्रकार **कपास** को तारपोलिन से ढके न जाने पर होने वाली किसी भी हानि की भरपाई परिवाहक द्वारा निगम को करनी होगी ।
27. परिवहनकर्ता को समय समय पर जो **कपास** एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए सुपुर्द की जाती है उनके किसी भी भाग को वह गिरवी (मोर्टगेज) नहीं रखेगा तथा इन शर्तों के उल्लंघन करने पर पूरी हानि तथा नुकसान के लिये परिवहनकर्ता जिम्मेदार होगा ।
28. यदी **कपास** के परिवहन के दौरान किसी प्रकार का नुकसान होता है तो इस नुकसान का ऐसेसमेन्ट करने के लिए सीसीआई या बीमा कंपनी के सर्वेयर द्वारा मांगी गई सभी सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहनकर्ता बाध्य होगा । परिवहनकर्ता को ऐसे माल को पुनः बुकिंग स्थल पर अथवा जहां सीसीआई चाहेगी उस ठिकाने पर पहुँचाना होगा तथा सीसीआई को अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सौंपना होगा जिसके लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त चार्ज नहीं दिया जायेगा ।
29. निगम की लिखित आज्ञा के बिना रास्ते में ट्रान्सशिपमेन्ट की अनुमति नहीं होगी।
30. सीसीआई या उसके प्रतिनिधि द्वारा परिवहनकर्ता को सौंपे गये माल का नियंत्रण निविदा में दी गई शर्तो द्वारा तय किया जायेगा तथा लॉरी रसीद में निर्दिष्ट शर्तो या अनुदेशों को जो इसमें दर्शाई गई शर्तो के प्रतिकूल होंगी, (उन्हें) निष्क्रिय माना जायेगा जो सीसीआई के लिये बाध्यकारी नहीं होंगी ।
31. निविदा में दी गई किसी भी शर्त का परिवहनकर्ता द्वारा उल्लंघन करने पर सीसीआई को यह अधिकार होगा कि वह तीन दिन की लिखित नोटीस देकर इस कॉन्ट्राक्ट को समाप्त कर दें तथा जमानत राशि जब्त कर लें ।
32. जिस ठेकेदार के न्यूनतम दर पाये जाते हे उसे कार्य आदेश जारी होने के 7 दिनों में रू.300/- के स्टेम्प पेपर पर एक अनुबंध करवाकर देना होगा जिसका स्वरूप निगम द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा । निगम के कार्यालय में यह अनुबंध प्राप्त होने पर ही कार्य दिया जायेगा ।

33. अंतिम निर्णय होने की तारीख से तय की गयी दर एक वर्ष की अवधि अथवा अधिकत्तम 30 सितंबर , 2020 तक लागू रहेंगी तथा जरुरत पडने पर दोनों पार्टियों की सहमति से अधिकत्तम अगले तीन महीने के लिये इसका नवीनीकरण कराया जा सकता हैं। इस दौरान किसी भी ट्रक यूनियन द्वारा दर बढाये जाने पर, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल, टायर व अन्य कल पुर्जो के दर बढाने पर या कोई टैक्स लागू करने पर निगम जिम्मेदार नहीं होगा तथा टेन्डर में भरी/स्वीकृत की गई दरों में कोई बढोतरी नहीं होगी। अतः टेन्डर में एक बार भरी गई दर समस्त अवधि के दौरान लागू रहेगी और परिवाहक उन्ही दरों पर काम करने के लिये बाध्य होगा । परिवाहक को निगम द्वारा ख़रीदा गया **कपास** सडक परिवहन द्वारा भेजनी पडेगी और किसी भी कारणवश यह सडक के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से नही भेजी जा सकता ।

34. निविदा में दर्शाए गए खरीद केन्द्र प्रस्तावित है । आवश्यकता पडने पर नये खरीद केंद्र / नये गंतव्य स्थानों के लिये केन्द्र स्तर पर ही उचित प्रक्रिया अपनाते हुये Short Tender notice जारी कर निगम द्वारा **कपास** के परिवहन दरों का निर्धारण किया जा सकता है ।

35. **कपास** के हेन्डलिंग (movement) के दौरान किसी भी प्रकार का की आकस्मिक घटना के कारण अगर किसी मजदूर या अन्य व्यक्ति को शारीरिक / मानसिक क्षति पहुंचती है तो इसकी वित्तीय क्षतिपूर्ति के लिये परिवाहक जिम्मेदार होगा।

36. परिवहनकर्ता को अपने टेन्डर में BID-I के साथ बयाना के रुप में इस कार्य करने हेतु इच्छुक है तो निर्धारित EMD **राशि रू. 1,00,000/-** जमानत के तौर पर जमा करनी होगी ।

निर्धारित जमानत राशि का विवरण :

क्रम सं.	**केन्द्र का नाम**	**EMD राशि रू. (प्रति केंद्र)**
01	बेचराजी, मांडल, कपडवंज	01.00 लाख

37. निगम के किसी भी खरीद केन्द्र पर कार्य की मात्रा की कोई गारंटी(Guarantee) नहीं होगी ।

38. **कपास की लोडिंग के चार्ज का भुगतान परिवहनकर्ता द्वारा मजदूरों को निर्धारित दरों पर करना होगा । अन्यथा बिलों में से आवश्यक कटौती की जा सकती है ।**

39. इस कॉन्ट्रेक्ट से बाहर या इससे संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद या मतभेद या दावा उत्पन्न होने पर इसे मध्यस्थता के लिये एक मध्यस्थ के पास भेजा जायेगा जिसकी नियुक्ति भारतीय कपास निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के अधिकृत अधिकारी द्वारा की जायेगी लेकिन इसमें निगम की कोई भी कर्मचारी नहीं होगा जिसका निर्णय अंतिम और दोंनो पक्षकारों को बाध्यकारी होगा तथा इस मध्यस्थता का नियंत्रण भारतीय मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों द्वारा किया जायेगा ।

40. निगम के टेन्डर बोक्स में एक बार टेन्डर डालने के पश्चात निविदाकर्ता टेन्डर वापस नहीं मांग सकता । टेन्डर वापस मांगने पर डिपोझीट की राशी जप्त की जा सकती है ।

41. निविदाकर्ता द्वारा निविदा में दी गई कोई भी जानकारी अगर गलत पाई जाती है तो उसको जारी किये गये Work order को निरस्त कर दिया जाएगा तथा ऐसी स्थिति में निगम द्वारा उक्त परिवहक की निगम के पास जमा राशी जब्त की जा सकती है तथा ब्लेक लिस्ट करवाया जा सकता है ।

42. भारतीय कपास निगम लिमिटेड बिना कोई कारण बतायें किसी भी निविदा को पूर्णतः अथवा उसका कोई भाग रद् करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है ।

43. टेन्डर भरनेंवालें परिवाहकों द्वारा समस्त नियमों एवं शर्तो को ध्यान में रखना होगा । एक बार टेन्डर फार्म देनें के बाद यह माना जायेगा कि परिवाहक ने इस फार्म में दी गई सभी नियम एवं शर्ते ध्यान से पढ ली हैं तथा वे इन नियमों एवं शर्तो के अंतर्गत कार्य करने के लिये तैयार एवं बाध्य है ।

44. **प्रत्येक ट्रन्सपोर्टर को प्रति सप्ताह एक स्टैटमेंट (तालिका) भेजनी अनिवार्य होगी जिसमें कपास की मात्रा ,** लॉरी नंबर, लॉरी रसीद नंबर और डिस्पेच की तिथि, स्टेशन (गोदाम) जिसको कपास भेजा गया उसका नाम अंकित होना चाहिये । ट्रान्सपोर्टर को प्रति दिन केन्द्र / गोदाम से उठाये जाने वाली **कपास का विवरण शाखा कार्यालय, अहमदाबाद को प्रस्तुत करना होगा ।**

45. इस निविदा के बाहर या इससे संबंधित किसी प्रकार का यदि विवाद उठता है तो उसका क्षेत्राधिकार केवल अहमदाबाद होगा ।

46. यदी निविदाकर्ता को निविदा की शर्तो एवं / अथवा निविदा प्रणाली के संबंध में कोई प्रश्न हो तो वह शाखा कार्यालय से पूछताछ कर सकता है। इसके अलावा यदि किसी निविदा को अस्वीकृत किया जाता है अथवा संभावित निविदा कागजात जारी किए जाते हैं तो वह शाखा कार्यालय से अस्वीकृति का कारण पूछ सकता है ।

47. कर में छूट का सर्टिफिकेट परिवहनकर्ता को इस टेन्डर फार्म के साथ संलग्न करना होगा तथा उसकी वैधता भी स्पष्ट अंकित होना चाहिए ।

48. 1 जून, 2015 के बाद किसी भी परिवहनकर्ता के पास 10 गुडस कैरिअर तक है तो उससे टी.डी.एस. की कटौति नहीं की जाएगी जिसके लिए परिवहनकर्ता को इस निविदा के साथ संलग्न किए गए प्रारूप को स्वयं के लेटर हैड पर लिखकर देना अनिवार्य है । अगर 10 से उपर गुडस कैरिअर है तो उससे टी.डी.एस. की कटौति की जाएगी । यदि संलग्न प्रारूप में नहीं देते है तो टी.डी.एस. की कटौति की जाएगी । यदि आपके द्वारा डिक्लेरेशन प्रारूप में देने पर किसी भी प्रकार की आयकर विभाग से वसूली आती है तो परिवहन कर्ता की अमानत राशि से कटौति की जाएगी ।

(स्वप्नील वि दडमल)
सहायक महा प्रबंधक

मैंने उपरोक्त शर्तें पढी हैं तथा मुझे मंजूर हैं ।

_____

ट्रान्सपोर्टर के हस्ताक्षर मोहर के साथ

स्थल :_____

दिनांक :_____

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

BRANCH OFFICE : AHMEDABAD

BID-I (TECHNICAL)

Tender form fees: Rs.112/-
(Rupees One hundred twelve only inclusive of GST)

Tender No._____
Last date of submission : 15.10.2019 upto 04.00 Pm
Date of opening of Tender : 15.10.2019 04.30 pm

Tender form for Transportation of Loose Kapas for the cotton season 2019-20.

1. Name and full postal address of the Transporter with Telephone Number/ & Email Address :

2. PAN No. (copy should be enclosed) :
(Name mentioned in the PAN No. should Co-relate with either Transport Co /proprietor / partner of firm)

3. GST No. (copy should enclosed) :

4. a) Name of the proprietor :
In case of firm,
b) Name of Partner &No.of Partners :
c) Registration No. & Date :
(Copy of registration correlated Authority/ Registrar of companies)

5. Office Address :

6. Name and address of the local person responsible to contact with telephone no. :

7. Whether the contractor is registered as MSME : Yes/ No
(if Yes, Pls. attach concerned valid certificate)

8. If MSME under SC/ ST category : Yes/ No
(if Yes, Pls. attach concerned valid certificate)

9. Whether the contractor is under startup category. : Yes/ No
(if Yes, Pls. attach concerned valid certificate)

10. Details of EMD : (D.D./RTGS NO/ BANK NAME ETC)

11. Cost of Tender :-

DD/Po. No_____ Date_____ Amount _____ Bank_____

12. Whether Transportation work of the Corporation:
was done last three years

If yes, furnish details : 2016-17 2017-18 2018-19

_____ _____ _____

13. Details of Bank Account :

Name of account holder : _____Account No. _____
Name of the Bank _____. Branch Name _____ IFSC Code_____

Note: In case any particulars are not furnished in the form the application is liable to be rejected. Further the corporation will be at liberty to cancel the tenders submitted at its discretion for any reason and call fresh Tenders. And the party will have no right of any nature to dispute or raise any objection to the said acts.

Name & Signature of Tenderer with seal

Place:
Date:

Mendatory on the letter head of the party

Declaration under Section 194(6) for Non-deduction of Tax at Source

To,
M/S. The Cotton Corporation of India Ltd.
Ahmedabad

Declaration

I ,Mr._____(Proprietor / Partner/ Director of) M/S._____(Address) (hereinafter the contractor) do hereby make the following declaration as required by sub section (6) of Section 194C of the income Tax Act, 1961 for receiving payment from the payer without deduction of tax at source.

1. That I/WE am/are authorized to make this declaration in the capacity as proprietor/partner/Director.
2. That the contractor is engaged by the payer for playing, hiring or leasing of goods carriage for its business.
3. That the contractor does not own more than goods carriage as on date.
4. That if the number of goods carriages owned by the contractor exceeds ten at any time during the period 2018-19(01.10.2019 to 30.09.2020), the contractor shall forthwith, in writing intimate the payer of this fact.
5. That the Income Tax Permanent Account Number (PAN) of the contractor is _____, A photocopy of the same is furnished to the payer along with this declaration.
6. The contractor hereby gives an undertaking to submit duly prescribed from of declaration as notified by the Income tax department.

Place :_____
Dated : _____ **Declarant**

VERIFICATION

I the above named declarant do hereby verify that the contents of paragraphs one to six above are true to my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed in it.

Place :_____
Dated :_____

Name of the Declarant and Signature

KAPAS TRANSPORTATION FROM CENTRE / GODOWN TO VARIOUS CENTRES FOR THE COTTON SEASON 2019-20

RATE PER QUINTAL (INDLUDING LOADING CHARGES AND ALL OTHER EXPENSES INCLUSIVE OF ALL TAXES EXCLUDING GST)

From : ----------

To,
The Assistant General Manager,
The Cotton Corporation of India Ltd.,
Ahmedabad

Dear Sir,

Sub: Tender for transportation of Kapas for the season 2019-20-reg.

With reference to your tender notice dated 27.09.2019 , we hereby submit our rates for transportation of Loose Cotton from various centres to different centres as per the details shown below:
No.of centres apllied : _____

कपास के भंडारण के लिये मूवमेन्ट का विवरण

Sr. No.	From Centre	To Factories at	Rate per Qntl. Including Loading charges (in Rs.)
1	कपडवंज से	दहेगाम	
		हिम्मतनगर	
		विजापुर	
		माणसा	
2	मांडल से	विरामगाम	
		कड़ी	
		हारिज	
		विजापुर	
3	बेचराजी से	विरामगाम	
		कड़ी	
		हारिज	
		विजापुर	
		विसनगर	

- मैंने निगम की संलग्न नियम एवं शर्ते पढ़ ली है और मुझे मान्य है ।

- **परिवहनकर्ता का नाम, सील एवं हस्ताक्षर**

AGREEMENT FOR ENGAGING TRANSPORTATION WORK OF LOOSE COTTON(KAPAS)

An Agreement made at _____ this _____ day of 2019 (Year) between The Cotton Corporation of India Limited, a company registered under the Companies Act, 1956 having its Registered Office at Kapas Bhavan Plot No. 3A, Sector 10, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614. (Herein after for brevity's sake called the "Corporation" which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof include its successors and assigns) OF THE FIRST PART AND _____TRANSPORTER_____ (hereinafter for brevity's sake called " The transporter " which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof include its successors and assigns) being represented by its owner as well as by representative if any , of the SECOND PART .

WHEREAS the transporter , known by the name of ----------is owned/ is leased/ is licensed by---------- (owner's name) to---------- (Lessee/Licensee's name).

AND WHEREAS the transporter has offered to do the work of Loose Cotton (kapas) transportation for the Corporation during the cotton season 2018-19 on contract.

AND WHEREAS the Corporation has accepted the offer on the terms and conditions contained herein.

The transporter agrees to transport the Loose Cotton from Pressing factories to Godowns engaged by the Corporation at the following rates.

Sr. No.	From centers	To Centres	Rate per Qntls. (In Rs.)

1. The above rates are including charges, and all other expenses, inclusive of all taxes, excluding loading at factory & GST.
2. No escalation in rates during the contracted period on any ground.
3. The transporter will have to place adequate vehicles on day –to- day basis according to requirement.
4. Transporter will have to transport Loose Cotton kapas immediately on Centre In charge Communication. In case of failure, the corporation will arrange the work through other transporters at its discretion and the loss/ damage/over heads if any will be recovered from the transporter besides forfeiture of EMD.

5. While transporting the Loose Cotton proper care should be taken for safety and no damage should occur during transit.

6. The transporter is responsible for any complication because of excess/ short loading.

7. The transit loss if any observed shall be deducted from the transporters payment proportionately.

8. In transit the proper protection of stock including full coverage by tarpaulins should be taken by transporter.

9. The vehicle should be clean and the vehicles carrying coal, cement, chemicals etc. which cause damage to bales should not be used.

10. In case of any accident or eventuality during the transit the same should be informed to BRANCH OFFICE, Ahmedabad /concerned center in charge immediately, besides completing the formalities of lodging F.I.R. with police, investigation report, arrangement of Fire Brigade report and photographs etc., The transporter will be responsible for submitting copies of F.I.R. fire brigade report etc., wherever necessary. Without preliminary survey truck/ salvage should not be removed.

11. The transporter will have to contact Centre In charges on day to day basis for requirement of vehicles.

12. The bills accompanied with gate pass,L.R. copy along with acknowledgement of goods received in good condition from concern godown in charges, duly acknowledged by Centre In charge should be submitted to Branch Office for settlement of bills. 10% amount of the bill will be deducted towards security deposit along with Income Tax and other taxes if any applicable from time to time. 10% security deposit shall be refunded on satisfactory completion of work during the contracted period.

14. This agreement does not bind the Corporation to offer the whole or any part of its transportation work to the transporter. The Corporation May offer the work of transportation to the transporter at its own convenience on the basis of circumstances prevailing and the transporter shall have no right to claim work from the corporation.

15. The Corporation reserves the right to withdraw its transportation work or terminate this agreement without assigning any reason.

16. The Transporter is a company/ partnership/ Proprietary/ Joint Family concern copies of documents evidencing this are annexed hereto.

This agreement is being executed by Shri ---------- on behalf of the transporter on the strength of a power of attorney executed a resolution passed on ----------. A copy of the power of attorney/resolution is also annexed to this agreement.

The transportation agreement shall be valid for cotton season 2019-20 i.e. Upto 30-09-2020 and there shall be no escalation/Revision of rate during the season.

In case of any dispute or difference arising out of or in relation to this agreement, the same will be referred to arbitration of an Arbitrator (other than an employee of the Corporation) to be appointed by the Director of the Corporation and whose decision shall be final and binding upon the parties hereto. The arbitration will be governed by the provisions of the Arbitration & Conciliation Act, 1996.

This Agreement shall be subject to Jurisdiction of Courts of Ahmedabad only.

SIGNED SEALED AND DELIVERED FOR and on behalf of the within named: -

THE COTTON CORPORATION OF INDIA LIMITED.,

Shri ---------- Signature ----------

Duly authorized in that behalf in the presence of :

---------- (Transporter)

by Shri ---------- (Owner)

Signature ----------

Duly authorized in that behalf in the presence of:

WITNESSES :

(1) Name : _____

Address : _____

_____

_____

(2) Name : _____

Address : _____

D E C L A R A T I O N

I hereby request to The Cotton Corporation of India Limited, Ahmedabad on behalf of M/s---------- Transporter - ---------- in the capacity of authorized representative that I give my consent to issue one T.D.S. Certificate for each completed financial year i.e.2019 - 2020 and 2020-2021 for the amount of Income Tax deducted at source (T.D.S).

Place : For_____

Date : _____

_____